उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः– 73 / 2022
जी सी एम एस न0 2022 / 781

दर्ज दिनांक 29.08.2022
निर्णय दिनांक 25.04.2023

प्रताप पुत्र स्व. गणपत जाति कुमावत उम्र 45 वर्ष निवासी ढाणी बराला गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

प्रार्थी

बनाम

भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.04.2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट प्रशासन गांवों के संग अभियाजन 2023 कैम्प पोषाणा में पेश हुई है। प्रार्थी ने कैम्प में स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम गिरावड़ी पटवार हल्का बागोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न. 33 खाता संख्या नया 11 पुराना 11 0.3800 है0 कुल खसरा 1 का कुल रकबा 0.3800 है0 में प्रार्थी का नाम परतु पुत्र गणपत दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का सही नाम प्रताप पुत्र गणपत है, उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/8 है। प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, राशनकार्ड इत्यादि में प्रताप पुत्र गणपत ही दर्ज है, जो सही दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से परतु पुत्र गणपत दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त / शुद्ध किया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम परतु पुत्र गणपतराम के बजाय प्रताप पुत्र गणपत शुद्ध / दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई।

अप्रार्थी ने दिनांक 25.04.2023 को आदेशिका में ही जवाब पेश कर निवेदन किया कि मिसल में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम परतु पुत्र गणपत के स्थान पर प्रताप पुत्र गणपत किया जाना उचित है।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभि[illegible] 2023 कैम्प में पेश हुई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना [illegible] का [illegible]ार किए जाने हेतु उभयपक्षकारान ने सहमति दी। प्रार्थना में वर्णित भूमि का प्रार्थी [illegible]डेड खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम परतु पु[illegible] को प्रताप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

पुत्र गणपत से शुद्ध/दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गिरावड़ी पटवार हल्का बागोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न. 33 खाता संख्या नया 11 पुराना 11 0.3800 है0 कुल खसरा 1 का कुल रकबा 0.3800 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत रूप से दर्ज नाम परतु पुत्र गणपत की जगह सही नाम प्रताप पुत्र गणपत शुद्ध/दुरूरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

25/4/23
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 25.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/4/23
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:46 IST
Reason: SelfAttested